

**(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE (EXTRA ORDINARY)  
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI  
FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT  
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002**

Office of Commissioner (HO.)  
Revenue Department  
3618  
26 Aug 2015  
Diary No. \_\_\_\_\_

No.F.6/8/PF-CF/1999/dsvi/

Dated the \_\_\_\_\_ 2015

36046  
27 AUG 2015  
Delhi

**NOTIFICATION**

No.F.6/8/PF-CF/1999/- In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Delhi Protection of Interest of Depositors (In Financial Establishment) Act, 2001, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby appoint District Magistrate of Revenue Department, GNCT of Delhi, in their respective jurisdiction, as Competent Authority under Section 5 of the Delhi Protection of Interest of Depositors ( In Financial Establishment) Act, 2001 with immediate effect.

*DC(HQ) / All DEs / SA(HQ)  
↓  
up/ra  
20/8/15*

By order and in the name of the  
Lt. Governor of the National  
Capital Territory of Delhi,

**(A.K.SINGH)  
DY. SECRETARY-VI (FINANCE)**

No.F.6/8/PF-CF/1999/dsvi/

Dated 26/8/2015

Copy forwarded to:-

1. The Principal Secretary (GAD), Government of NCT of Delhi with one spare copy for its publication in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary).
2. Pr. Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Govt of NCT of Delhi, Raj Niwas Marg, Delhi.
3. Divisional Commissioner, Govt of NCT of Delhi, 5 Sham Nath Marg, Delhi
4. The Secretary to Finance Minister, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, New Delhi
5. Commissioner, Value Added Tax Department, Vyapar Bhawan, I.P.Estate, ND.
6. OSD to Chief Secretary, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
7. All District Magistrate/Deputy Commissioner, Revenue Department, GNCTD.
8. The Registrar, Chit Fund, Govt of NCT of Delhi, Vyapar Bhawan, I.P.Estate, New Delhi.
9. Addl.Secretary ( Law), Govt of NCT of Delhi, Delhi Sachivalya, I.P.Estate, New Delhi
10. Guard File.
11. Website.

**(A.K.SINGH)  
DY. SECRETARY-VI (FINANCE)**

*Kindly upload  
in the Revenue  
31/8/15  
SA  
wasong  
31/8/15*

(दिल्ली राजपत्र भाग - 4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार  
वित्त (राजस्व-1) विभाग  
दिल्ली सचिवालय, चौथा तल, ए विंग  
आई पी एस्टेट, नई दिल्ली-110002

सं फा 6(8)/पीएफ-सीएफ/1999/डीएसVI/

दिनांक

अधिसूचना

सं फा 6(8)/पीएफ-सीएफ/1999/ .- दिल्ली जमाकर्ता के हित का संरक्षण (वित्तीय संस्थापना में) अधिनियम, 2001 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के जिला मजिस्ट्रेटों को उनके अपने-अपने क्षेत्राधिकार में उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी के रूप में तत्काल नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर

( ए० के० सिंह )  
उप- सचिव -VI (वित्त)

सं फा 6(8)/पीएफ-सीएफ/1999/ डीएसVI/702

दिनांक 26/8/15

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित :-

1. प्रधान सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग-चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ ।
2. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
3. मंडलीय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, 5-शाम नाथ मार्ग, दिल्ली।
4. सचिव वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई० पी० एस्टेट, नई दिल्ली।
5. आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर, व्यापार भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली।
6. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई० पी० एस्टेट, नई दिल्ली।
7. समस्त जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त, राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
8. पंजीयक, चिट फंड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, व्यापार भवन, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली।
9. अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई० पी० एस्टेट, नई दिल्ली।
10. गार्ड फाईल ।
11. वेबसाइट।

( ए० के० सिंह )  
उप- सचिव -VI (वित्त)